न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 22 / 2016 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2016 / 00165

अपीलांटगण :– बनाम रेस्पोडेन्टगण :–

अपीलांटगण :–

1. श्रीमति नांगलदेवी बेवा स्वर्गीय किशनदान जी जाति चारण निवासी गढवाडा, तहसील –रोहट, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमति लीला पुत्री स्वर्गीय किशनदान जी पत्नी रामसिंह जी जाति चारण निवासी गढवाडा, तहसील–रोहट, जिला–पाली (राज.)
3. श्रीमति विद्या पुत्री स्वर्गीय किशनदान जी पत्नी श्री करण भाई, जाति चारण निवासी गढवाडा, हाल निवासी सिणधरी, तहसील – गुडा मालानी,जिला–बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

1. श्रीमति गीता पत्नी स्वर्गीय नाहरदान
2. लक्ष्मणदान पुत्र श्री किशनदान
3. रतनदान पुत्र श्री गणेशदान
4. श्रवणदान पुत्र रामदान
5. श्रीमति गंगा पत्नी चेलदान
6. नारायणदान पुत्र भीमदान
7. चेलदान पुत्र भीमदान के कायम मुकाम–
   7 / 1. अशोक पुत्र चेलदान
   7 / 2. गौतम पुत्र चेलदान
   7 / 3. उषा पुत्री चेलदान
8. केसी बेवा भीमदान
9. विद्यादेवी
10. गीतादेवी पुत्रीयां जीवराज
11. मुस्मात गौरी बेवा जीवराज
12. नारायणदान
13. श्रवणदान पुत्रगण भगदान सभी जातिगण चारण, निवासीगण गढवाडा, तहसील–रोहट, जिला–पाली (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री खंगार राम पटेल उपस्थित
रेस्पोडेंट की और से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 14-7-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 05.01.1983 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि रामदान पुत्र भूतदान के 4 पुत्र थे जो क्रमशः किशनदान, गणेशदान, श्रवणदान एवं चेलदान है। रामदान के देहान्त से पहले किशनदान का देहान्त हो गया। रामदान के देहान्त के समय नामान्तरकरण संख्या 273 खोला गया जिसमें मृतक किशनदान के हिस्से में उनके दो पुत्रों नाहरदान एवं लक्ष्मणदान का नाम इन्द्राज किया गया है जबकि किसनदान के उत्तराधिकारी अपीलांटगण जीवित है एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने स्वर्गीय किशनदान के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच किए बिना दिनांक 14.01.1983 को रिपोर्ट कर दी तथा नायब तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तकरण संख्या 273 अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिए स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। किशनदान की मृत्यु के पश्चात किशनदान के दो पुत्रों के अतिरिक्त पत्नी व दो जायन्दा पुत्रियाँ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के [illegible] नाहरदान व 2 को फायदा पहुंचाने की नियत से स्वर्गीय किशनदान [illegible] वारिसान की जांच किए बिना पुत्रियों व पत्नी के नाम इन्द्राज [illegible] नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.................2

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 273 स्व. रामदान के वारिसान के साथ स्वर्गीय किशनदान के पुत्रों के नाम तथा दिनांक 14.1.1983 को भू अभिलेख निरीक्षक गढवाड़ा ने स्व. किशनदान के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच किए बगैर अंकित कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक किशनदान के प्रथम श्रेणी के वारिसान की बिना जांच किए तथा बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिए तथा बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिए तथा बगैर अपीलांटस को नोटिस दिए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांटगण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व. किशनदान के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से स्व. किशनदान की कृषि भूमी के खुद काश्तकार थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को अपने रेकर्डेड खातेदार बनने के हक अधिकारों से वंचित कर दिया जबकि अपीलांटगण अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के विधी सम्मत हकदार है। अपीलांट अनपढ महिला है कानून की जानकार नहीं होने से जैसे ही उसके गलत नामान्तरकरण बाबत पता चला कि इनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया है तो यह अपील 11.7.2016 को पेश की जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

वकील रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 5.1.1983 को दर्ज किया गया तथा अपील 11.7.2016 को की गई जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपील का आधार लगान को बताया है जबकि अपील पेश करने से कई वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा लगान वसूली कार्य लगान माफ कर बंद कर कर दिया गया है अतः उनके द्वारा जो आधार बनाया वह गलत है अपील की म्याद के सम्बन्ध में एक दिवस देरीना पेश करने का भी कारण उल्लेख करना होता है प्रस्तुत अपील 38 वर्षों बाद पेश की जाने से स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया साथ ही उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो है :-

1. म्याद का बिन्दु
2. नामान्तरकरण भरते समय प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं।

अपीलांटगण के पति व पिता की खातेदारी भूमी में हक अधिकारों का प्रश्न तथा विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम खातेदार की मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं करने से नामान्तरकरण ab initio void होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना था किशनदान की मृत्यु होने पर उसके जायन्दा पुत्र नाहरदान व लक्ष्मणदान का नाम तो जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया लेकिन स्व. किशनदान की पत्नी नांगल देवी अपीलांट संख्या 1 एवं उसकी दो पुत्रियां लीला एवं विद्या क्रमशः अपीलांट संख्या 2 व 3 जीवित थे तथा आज भी जीवित है जिनका नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अधिनस्थ नायब तहसीलदार, पाली द्वारा नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक त्रुटि की है। इस प्रकार का नामान्तरकरण ab initio void है ऐसे प्रारम्भ से शुन्य नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 05.1.1983 ग्राम गढवाडा जो नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय किशनदान के विधिक वारिसान पुत्र, पुत्रियां एवं पत्नी को नोटिस देकर मौका जाकर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तकरण संख्या 273 दिनांक 5.1.1983 पालनार्थ तहसीलदार, पाली को प्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.9.2021	**संशोधित आदेश** पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आज दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2021 में नामान्तरकरण संख्या 273 को निरस्त करते हुए अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार पाली को प्रतिप्रेषित इस निर्देशों के साथ किया गया कि किशनदान के वारिसानों की जांच कर उन्हें सुना जाकर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। उक्त नामान्तरकरण पूर्व में तहसील रोहट नहीं होने से नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया था एवं जैर अपील नामान्तरकरण तहसीलदार, पाली से प्राप्त हुआ जिसे तहसीलदार पाली से प्राप्त होने के कारण पुनः उनके कार्यालय में भिजवाया जाने बाबत अंकन किया गया। जबकि वर्तमान में रोहट तहसील हो जाने से तहसीलदार रोहट को प्रेषित किया जाना चाहिए था। यह एक लिपीकीय त्रुटि है अगर इसमें सुधार किया जाता है तो निर्णय पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के तहत दुरुस्तनीय है अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में निर्णय दिनांक 14.7.2021 के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 6 की अन्तिम पंक्ति में "**निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 5.1.1983 पालनार्थ तहसीलदार, पाली को प्रेषित किया जावे।**" के स्थान पर "**निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 5.1.1983 पालनार्थ तहसीलदार, रोहट को प्रेषित किया जावे।**" तद्नुसार ही पढा व समझा जावे। यह संशोधन राजस्व अपील 22/2016 बअनवान नांगलदेवी वगैरा बनाम गीता वगैरा में पारित मूल निर्णय दिनांक 14.7.2021 का भाग रहेगा। जिला कलक्टर, पाली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:21 IST
Reason: SelfAttested